निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद

जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 175 / 2020 तारीख दायरा 31.08.2020

उनवान

1. सत्यप्रकाश पुत्र रामरतन आयु 62 वर्ष जाति माली निवासी ग्राम डूंगरपुर तहसील सांगोद जिला कोटा हाल मुकाम बांरा तहसील बांरा जिला बांरा राजस्थान।

—वादी

बनाम

1. कान्तिप्रकाश पुत्ररामरतन आयु60वर्ष जाति माली निवासी ग्राम डूंगरपुर तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।
2. भूला बाई पुत्री रामरतन आयु 45 वर्ष जाति माली निवासी ग्राम डूंगरपुर तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।
3. बद्री बाई पुत्री रामरतन आयु 70 वर्ष जाति माली निवासी ग्राम डूंगरपुर तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।
4. शकुन्तला बाई पुत्री रामरतन आयु 50 वर्ष जाति माली निवासी ग्राम डूंगरपुर तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।
5. सुशीला बाई पुत्री रामरतन आयु 52 वर्ष जाति माली निवासी ग्राम डूंगरपुर तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।
6. भुवनेश पुत्र स्व.शीतल प्रकाश उम्र 23 वर्ष जाति माली।
7. निर्मला पत्नि स्व.शीतल प्रकाश उम्र 42 वर्ष जाति माली।
8. कपिल पुत्र स्व.शीतल प्रकाश उम्र 19 वर्ष जाति मालीनिवासीगण निवासी ग्राम डूंगरपुर तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।
9. राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार साहब सांगोद जिला कोटा राजस्थान।

— प्रतिवादी

<u>दावा अन्तर्गत धारा 88,89,209 आर.टी. एक्ट 1955</u>

उपस्थित :—

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.06.28 11:40:58 IST
Reason: SelfAttested

श्री रमेश कुमार शर्मा (वकील वादी) दिनांक :— 26.02.2021

श्री हरीश कुमार शर्मा (वकील प्रतिवादीगण)

——निर्णय——

किया है कि वादी के पिता स्व0 श्री रामरतन जी के खाते की आराजी माल ग्राम मोईकंला पटवार हलका मोईकंला तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान मे खाता सख्या नई 613 पुरानी 566 के खसरा नम्बर 2016 की 0.70 हैक्टर, खसरा नम्बर 2018 की 0.53 हैक्टर, खसरा नम्बर 2019 की 0.05 हैक्टर कुल किता 3 की कुल रकबा 1.28 हैक्टर आराजी स्थित है। वादी व प्रतिवादीगण कम 1 ता 8 के स्व0 पिता रामरतन की मुत्यु के पूर्व तथा मुत्यु के उपरान्त भी कब्जे काश्त मे चली आ रही है तथा राजस्व रिर्काड मे वादी व प्रतिवादीगण कम 1 ता 5 के पिता व प्रतिवादी कम 6 व 7 के दादा व प्रतिवादी न08 के ससुर के खाते दर्ज है।

वादी के पिता स्व0 रामरतन जी का स्वर्गवास दिनांक 27.1.2019 को ग्राम डुंगरपुर ग्राम पंचायत लटूरी तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान मे हो गया है। वादी के स्व0 पिता का वंशवृक्ष निम्न प्रकार है :–

स्व0 रामरतन पुत्र रामगोपाल

1.सत्यप्रकाश पुत्र वादी
2.कांन्तिप्रकाश पुत्र प्रति01
3भूलाबाई पुत्री प्रति02
4बद्रीबाई पुत्री प्रति03
5शकुन्तलाबाई पुत्री प्रति04
6सुशीलाबाई पुत्री प्रति05
7शीतलप्रकाश. मृतक पुत्र

भुवनेश पुत्र प्रति06
निर्मला पुत्री प्रति07
कपिल पुत्र प्रति08

वादी व प्रतिवादी कम 1 ता 5 के पिता व प्रतिवादी न. 6 व 7 के दादा व प्रतिवादी न.8 के ससुर श्री रामरतन पुत्र श्री रामगोपाल वास्तविक नाम है जो ग्राम डूंगरपुर की आराजी खाता सख्या नई 107 में भी दर्ज है, इसी प्रकार ग्राम डोबडास की आराजी खाता सख्या नई 109 में भी राजस्व रिकार्ड में मृतक स्व0 श्री रतन लाल पुत्र रामगोपाल दर्ज है जबकि सहवन से वादग्रस्त आराजी माल ग्राम मोईकंला खाता सख्या नई 613 कुल किता 3 कुल रकबा 1.28 हैक्टर आराजी में स्व. रामरतन खातेदार के पिता का नाम रामगोपाल के स्थान पर सहवन से राजस्व रिर्काड मे पाथूलाल दर्ज हो गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.06.28 11:40:58 IST
Reason: SelfAttested

वादी के पिता रामरतन की मृत्यु दिनांक 27.1.2019 को ग्राम डुंगरपुर तहसील सांगोद मे हो जाने से मृतक पुत्र श्री शीतलप्रकाश पुत्र श्री रामरतन की मृत्यु दिनांक 10.2.2006 को हो जाने से ग्राम पंचायत लटूरी से मृत्यु प्रमाण पत्र रामरतन पुत्र रामगोपाल एवं शीतलप्रकाश पुत्र रामरतन

का प्रस्तुत कर तथा वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पचांयत लटूरी दिनांक 25.3.2019 का तहसीलदार सांगोद के कार्यालय मे प्रस्तुत कर वास्ते इंतकाल खोले जाने आराजी ग्राम मोई कंला खाता सख्या नई 613 कुल किता 3 की कुल रकबा 1.28 हैक्टर पर फौती इन्तकाल खोलने का आवेदन किया, जिस पर नामान्तरण विरासत दिनांक 22.7.2019 को सक्षम ग्राम पंचायत अधिकारी लटूरी में राजस्व रिकार्ड में रामरतन पुत्र नाथूलाल माली होने तथा मृतक के दस्तावेज मृत्यु प्रमाण पत्र रामरतन पुत्र रामगोपाल प्रस्तुत करने से नामान्तरण खारिज कर दिया है।

वाद पत्र की मद न.1 में वर्णित आराजी ग्राम मोई कंला खाता सख्या नई 613 में रामरतन पुत्र श्री पांथूलाल जाति माली निवासी ग्राम डुंगरपुर लिखे होने से तथा वादी तथा प्रतिवादी क्रम 1 लगायज 5 के पिता तथा प्रतिवादी क्रम 6 व 7 के दादा व प्रतिवादी नम्बर 8 के ससुर श्री रामरतन के पिता का नाम रामगोपाल है जबकि राजस्व रिर्काड मे सहवन से पांथूलाल लिखा है जिससे वादी का पिता का नाम राजस्व रिकार्ड मे पांथूलाल के स्थान पर रामगोपाल संशोधित करवाया जाना तथा वादी तथा प्रतिवादी क्रम 5 व शीतल प्रकाश पुत्र रामरतन की मृत्यु हो जाने से उसके वैध उत्तराधिकारी प्रतिवादीक्रम 6 ता 8 का नाम की घोषणा मृतक रामरतन के स्थान पर करवाये जाना आवश्यक होने से यह वाद इन्द्राज दुरस्ती व घोषणा का प्रस्तुत किया जान न्यायाहीत में आवश्यक होने से प्रस्तुत किया जा रहा है।

वाद पत्र की मद न.1 में वर्णित आराजी के वैधानिक वारिस वादी और प्रतिवादी क्रम ता 8 होने से आराजी में अपना नाम घोषणा करवाना व राजस्व रिकार्ड में नाम दुरस्त करवा आवश्यक होने से वाद प्रस्तुत किया है जिसमें वादी व प्रतिवादीक्रम 1 ता 8 को विधिक अधिक प्राप्त है।

राजस्व रिकार्ड में वादी व प्रतिवादी क्रम 1 ता 8 का नाम वाद पत्र की मद न0 1 वर्णित आराजी में नही होने से आराजी का विकास करवाने में परेशानी होने से तहसीलदार सा सांगोद द्वारा वादी के पिता के रामगोपाल का नाम राजस्व रिकार्ड में रामगोपाल के स्थान पांथूलाल होने से इंतकाल को खारिज कर दिया गया तथा तहसीलदार सांगोद द्वारा सम्मा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांगोद में दावा प्रस्तुत कर नाम को दुरस्त करवाने तथा स्व0 राम के वारिसों वादी व प्रतिवादी क्रम 1 ता 8 के नाम की घोषणा कराने की कहने से दि 25.7.2020 को वाद कारण पैदा हुआ है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.06.28 11:40:58 IST
Reason: SelfAttested

अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी व प्रतिवादीगण क्रम 1 ता 8 के पक्ष प्रतिवादी क्रम 9 के विरुद्व निम्न आशय की डिक्री सादिर पारित फरमायी जावें कि :–

वाद पत्र में वर्णित आराजी ग्राम मोई कंला खाता सख्या नई 613 पुरानी 566 के खसरा 2016 की 0.70 हैक्टर, खसरा नम्बर 2018 की 0.53 हैक्टर, खसरा नम्बर 2019 की 0.05 ... खातेदार रामरतन पुत्र पांथूलाल के स्था

1/21–1/21 हिस्से की घोषणा अनुसार इन्द्राज दुरस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमलद दरामद किया जावें।

उक्त प्रकरण प्रस्तुत होने पर दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी की गई प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया जवाद देही का अवसर दिया गया। प्रतिवादी सं. 1 ता 7 की ओर से वकील श्री हरीश कुमार शर्मा द्वारा इकबाली जवाब दावा पेश किया गया। वादी अधिवक्ता की ओर से ग्राम विकास अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया तथा वादी के हक में वाद को डिक्री किये जाने की प्रार्थना की। प्रतिवादीगण द्वारा इकबाली जवाब प्रस्तुत करने के कारण वाद में तनकी कायम करने की आवश्यकता नहीं है।

मेरे द्वारा पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड, ग्राम विकास अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, जमाबंदी, इकबाली जवाब दावा इत्यादि का अवलोकन करने पर उक्त रेकार्ड के आधार पर वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होने से वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है एवं आदेश दिये जाते हैं कि–

ग्राम मोई कंला खाता सख्या नई 613 पुरानी 566 के खसरा नम्बर 2016 की 0.70 हैक्टर, खसरा नम्बर 2018 की 0.53 हैक्टर, खसरा नम्बर 2019 की 0.05 हैक्टर कुल किता 3 की कुल रकबा 1.28 हैक्टर आराजी में खातेदार रामरतन पुत्र पांथूलाल के स्थान पर रामरतन पुत्र रामगोपाल के नाम की इन्द्राज दुरस्ती की घोषण की जाती है। साथ ही स्व0 रामरतन के वैध वारिसान वादी व प्रतिवादी कम 1 ता 5 को 1/7–1/7 हिस्से एवं प्रतिवादी कम 6 ता 8 को 1/21–1/21 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्त घोषणा के अनुक्रम में इन्द्राज दुरस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। विवादित आराजी पर रहनभार होने की स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहनभार यथावत रहेगा। वाद व्यय वादी स्वयं वहन करें। नियमानुसार डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.06.28 11:40:58 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 26.02.2021 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
(अंजना सहरावत)